

न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 24/2021

रजिस्ट्रेशन नं. : 2021/41

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस
लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स,
शास्त्री सर्कल उदयपुर

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोंडेंटस:-

1. श्री प्रताप सिंह पुत्र बहादुर सिंह निवासी 120, प्रजापती मोहल्ला, वखतपुरा, अरथुना, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा (ऋणी व बंधक कर्ता)
2. श्रीमती आशा कुंवर पत्नी श्री प्रताप सिंह 120, प्रजापती मोहल्ला, वखतपुरा, अरथुना, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा (सह ऋणी)
3. श्री करेग डिंडोर पुत्र श्री लालू डिंडोर निवासी 223 टिम्बा मोहल्ला, आंजना, तहसील गढी जिला बांसवाड़ा (जमानती)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :- 23.12.2021

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर 1- श्री प्रताप सिंह पुत्र बहादुर सिंह निवासी 120, प्रजापती मोहल्ला, वखतपुरा, अरथुना, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा (ऋणी व बंधक कर्ता) 2- श्रीमती आशा कुंवर पत्नी श्री प्रताप सिंह 120, प्रजापती मोहल्ला, वखतपुरा, अरथुना, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा (सह ऋणी), 3- श्री करेग डिंडोर पुत्र श्री लालू डिंडोर निवासी 223 टिम्बा मोहल्ला, आंजना, तहसील गढी जिला बांसवाड़ा को दिनांक 31.03.2017 को राशि रुपया 2,00,000 (अक्षरे दो लाख रुपया मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 21.10.2019 को अक्रियान्वित आस्तित्व में वर्गीकृत कर दिया अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 17-07-2020 तक कुल बकाया ऋण राशि 1,53,600 रु. (एक लाख तरेपन हजार छ सौ मात्र) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के पूर्ण भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार है। सिव्योरीटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति प्रार्थी के पास रहन की जिसका विवरण श्री प्रताप सिंह पुत्र बहादुर सिंह निवासी 120, प्रजापती मोहल्ला, वखतपुरा, अरथुना, तहसील गढी, जिला बांसवाड़ा की सम्पत्ति जो पट्टा सं. 75 दिनांक 20.08.2016 ग्राम साइनाला ग्राम पंचायत वखतपुरा तहसील गढी जिला बांसवाड़ा पर स्थित है, जो माप लगभग 2522 वर्ग फीट है। जिसमें भूमि, भवन, बाग़, आदि



(Signature)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

व्यक्ति का अभिन्न अंग है, जिसके पूर्व में रास्ता, पश्चिम में स्कूल, उत्तर में आम रोड, दक्षिण में पडत
को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित
कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन
किया है।

वित्त विभाग (Department of financial services) की अधिसूचना दिनांक 18 दिसम्बर 2015
के अनुसार प्रार्थी एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड को केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियों का
प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की
उपधारा(1) के खंड (ड) के उप-खंड (IV) के अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है। साथ ही प्रकरण में 20
प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना
पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।


प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 28-07-2020 को ऋणी
अप्रार्थीगणों को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नहीं की व ऋण राशि जमा नहीं
करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित लोन एग्रीमेन्ट है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 02.09.
2021 को जारी किया गया। दिनांक 20.09.2021 को अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित हुए तथा जवाब हेतु समय चाहा
तत्पश्चात से आज दिनांक तक उन्होंने जवाब प्रस्तुत नहीं किया एवं जवाब प्रस्तुत नहीं किया। बावजूद नोटिस
तामिल अप्रार्थीगण 2 व 3 आज दिनांक तक अनुपस्थित है। दिनांक 17.09.2021 को अप्रार्थी सं. 1 का जवाब
बंद किया गया तथा अप्रार्थी सं. 2 व 3 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

दिनांक 23.12.2021 को अप्रार्थी सं. 1 अनुपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस
सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई न
सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। नियमों के अनुसार सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा
अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में समस्त कार्यवाही पूर्ण की गई है। किसी भी न्यायालय में
कोई स्थगन आदेश नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत
वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को





जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

प्रक्रिया का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमों के अनुसार प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गढी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।




(अंकित कुमार सिंह)
कलकत्ता जिला न्यायाधीश
बीकानेर (राज.)